

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर.

प्रकरण क्रमांक

/2015 रेस्टोरेशन

रेस्टोरेशन/353-II-15

1. लखन लाल शुक्ल पुत्र श्री देवकी नंदन शुक्ल
2. चडिकाप्रसाद शुक्ल पुत्र श्री देवकीनंदन शुक्ल
3. लवकुशप्रसाद शुक्ल पुत्र श्री देवकीनंदन शुक्ल
4. श्रीमती सरोज शुक्ल वैवा विद्याधर शुक्ल
द्वारा मुख्त्यारआम चन्द्रिका प्रसाद शुक्ल
समस्त निवासीगण ग्राम वाल्हा, तहसील
विरसिंहपुर, जिला सतना (म0प्र0)

— आवेदकगण

बनाम

1. शत्रुघ्नय कुमार पुत्र श्री लाल जी,
निवासी ग्राम वाल्हा, तहसील विरसिंहपुर,
जिला सतना (म0प्र0)
2. मध्य प्रदेश शासन

— अनावेदकगण

रेस्टोरेशन आवेदन पत्र अन्तर्गत म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा
धारा 9 के अन्तर्गत निर्मित नियमों के नियम 32 के अधीन आवेदन पत्र।

Rungar
2/6/15

श्री आर. एस. सुंगर - अतिथि
द्वारा दिनांक 2-6-15 को
प्रस्तुत।



N. S. O.

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक रेस्टोरेशन 1353-दो/2015

जिला सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11-06-15	<p>शीघ्र सुनवाई के आवेदन पर प्रकरण आज लिया गया। आवेदकपक्ष की ओर से श्री आर0एस0सेंगर, अधिवक्ता उपस्थित। तर्क सुने गये। आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताया गया अनुपस्थित का समाधानकारक होने से मूल प्रकरण पुनर्स्थापित किया जाता है। इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से प्रकरण समाप्त किया जाता है।</p>	<p> अध्यक्ष</p>